बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

होशंगाबाद रोड, भोपाल – 462026

website : www.bubhopal.ac.in

email:- budrstore2015@gmail.com

Ph. 0755-2517062

आज़ादी का अमृत महोत्सव

क्रमांकः 637 /भण्डार/2022

भोपाल, दिनांकः 21-4-2022

:: लोडिंग वाहन किराये से लेने हेतु द्वितीय सीमित निविदा आमंत्रण सूचना ::

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल की परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिका वितरण एवं अन्य परीक्षा संबंधी कार्य हेतु लोडिंग वाहन की आवश्यकता है। इस बाबत लोडिंग वाहन किराये से विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने हेतु सीमित निविदा मे अपनी दरें दिनांकः 27-4-22 समयः 3.00 बजे तक **कुलसचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल** के नाम से स्पीड पोस्ट/कोरियर/पत्र वाहक के माध्यम से **उपकुलसचिव, (भण्डार), बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, होशंगाबाद रोड, भोपाल** को प्रस्तुत करें।

सीमित निविदा को प्रस्तुत करने के नियम एवं शर्तें–

(1) **वित्तीय दरः– निविदाकर्ता फर्म को वित्तीय दरें प्रपत्र (क) में प्रस्तुत की जाना है।**

(2) निविदा के साथ फर्म / प्रोप्राईटर का ज़ी.एस.टी. पंजीयन का प्रमाण पत्र संलग्न करें।

(3) निर्धारित समयावधि के पश्चात फर्मो से प्राप्त सीमित निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

(4) निविदा मे मात्र चार पहिया वाहन की ही दरें प्रस्तुत करें। ताकि नो एन्ट्रो क्षेत्र मे आसानी से प्रवेश कर सकें।

(5) विश्वविद्यालय को प्रदाय किए जाने वाले वाहन में हुड या वाटरप्रूफ तिरपाल होना आवश्यक है। जिससे विश्वविद्यालय की सामग्री की पानी से सुरक्षा हो सके।

(6) विश्वविद्यालय की सामग्री जिसका परिवहन किया जाना है उसकी सुरक्षा का दायित्व निविदाकर्ता फर्म का होगा।

(7) निविदाकर्ता फर्म को विश्वविद्यलय के बताये हुए स्थान एवं समय पर वाहन उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।

(8) निविदा में सफल फर्म को कार्य पूर्ण होने के पश्चात प्रतिमाह बिल कुलसचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल के नाम से प्रस्तुत करना होगा। निविदाकर्ता के बिल से आयकर की कटौति नियमानुसार की जावेगी।

(9) वाहनों के परमिट रजिस्ट्रेशन, बीमा एवं रोड टेक्स तथा पी.यू.सी. होना अनिवार्य है।

(10) वाहन चालक के पास वैध ड्राईविंग लायसेन्स होना अनिवार्य है।

(11) यदि किसी कारण से वाहन पर पुलिस द्वारा जुर्माना लगाया जाता है तो उसका उत्तरदायित्व निविदाकर्ता फर्म का होगा। विश्वविद्यालय द्वारा इसका वहन नहीं किया जावेगा।

(12) वाहन के ड्राईवर को विश्वविद्यालय के नियंत्रण रहकर कार्य करना होगा।

(13) वाहन में ईधन के रूप में लगने वाले डीजल/पैट्रोल की व्यवस्था निविदाकर्ता फर्म को करना होगी।

(14) फर्म द्वारा टोल टैक्स की बिल के साथ प्रस्तुत करने पर विश्वविद्यालय द्वारा टोल टेक्स का भुगतान फर्म को किया जावेगा।

(15) किराये से प्रदाय की जाने वाली वाहन सात वर्ष से अधिक पुराने नहीं होना चहिए।

(16) सीमित निविदा में जिस निविदाकर्ता ने न्यूनतम दर प्रस्तुत की उस फर्म का चयन किया जावेगा।

(17) विश्वविद्यालय के आदेश पर निविदा में सफल फर्म को विश्वविद्यालय की मांग अनुसार वाहन उपलब्ध कराना होगा।

(18) किसी भी कोटेशन को बिना कारण बताये स्वीकृत/ अस्वीकृत करने का अधिकार बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल को होगा।

(19) न्यायालयीन विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार भोपाल न्यायालय होगा।

उप-कुलसचिव(भण्डार)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल